कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

संख्या– चिकि0व्य0पंजी0/कोविड–19/2020/4849-6 दिनांक– 04 मई 2020

संचालक/प्रबन्धक,
समस्त निजी चिकत्सालय/नर्सिंग होम/पैथोलॉजी सेन्टर,
लखनऊ

जैसा कि आप अवगत ही है कि जनपद में कोविड–19 पॉजीटिव रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली इकाईयों हेतु यह अत्यन्त महत्वूपर्ण एवं आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी इकाई पर इस प्रकार से व्यवस्था कर लें कि उनके स्टाफ, चिकित्सालय तथा अन्य व्यक्तियों में कोविड–19 का संक्रमण का प्रसार न हों

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी महादेय लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक– 25.04.2020 को सम्पन्न हुई बैठक में सभी को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं। दिनांक– 03.05.2020 को निजी चिकित्सालययों/नर्सिंग होम्स/पैथॉलॉजी आदि पर आने वाले रोगियों के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकि0व्य0पंजी0), डा0 रमा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, आई0एम0ए0, डा0 अनूप अग्रवाल, अध्यक्ष– लखनऊ नर्सिंग होम एसोसियेशन, डा0 संदीप कपूर, हेल्थसिटी हास्पिटल, डा0 अनिल खन्ना, अजन्ता हास्पिटल लखनऊ के मध्य बैठक कर विस्तृत विमर्श हुआ। विमर्शोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समस्त निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम्स एवं पैथोलॉज़ी अपनी अपनी इकाईयों पर संलग्न नार्म्स के अनुसार निम्नवत् व्यवस्था सुनिश्चित करें :–

1. केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही किसी ऐसे कर्मी की नियुक्ति की जाये कि वो केन्द्र पर आने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा ट्रिपल लेयर मास्क का पहना जाना सुनिश्चित करें तथा उनके हाथ आदि प्रवेश से पूर्व ही सेनेटाईज कर दिये जायें अथवा न्यूनतम 20–30 सेकण्ड्स तक साबुन से हाथ उनके धुलवाये जाये।
2. केन्द्र पर आने वाले समस्त व्यक्तियों यथा रोगियों, उनके सहयोगियों/कर्मचारियों/चिकित्सकों आदि द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का शत प्रतिशत अनुपालन किया जाये विशेषकर प्रतीक्षा हेतु नियत स्थानों पर बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेसिंग के मानकों के अनुरूप किया जाये।
3. केन्द्र के समस्त स्टाफ द्वारा एन–95 मास्क का उपयोग किया जाये तथा समय–समय पर उनके हाथों आदि का सैनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाये। जनमानस/रोगियों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने वाले सभी चिकित्सकों/कर्मचारियों द्वारा स्वयं को प्रोटोकॉल के अनुसार/पी0पी0ई0 किट के द्वारा रक्षित किया जाये।
4. केन्द्र के प्रत्येक पटल पर हैन्ड सैनेटाईजर रखवाया जाये तथा केन्द्र के कर्मचारी यह समय–समय पर यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क पहना हुआ हों, वे अपने हाथों को सैनेटाईज़ कर रहे हो तथा केन्द्र पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन किया जा रहा हो।
5. केन्द्र के प्रत्येक पटल को ग्लास, ग्लासी शीट अथवा हार्ड ट्रान्सपैरेन्ट प्लास्टिक शीट से इस प्रकार से कवर किया जाये कि केन्द्र के आने वाले रोगियो एंव उनके सहयोगियों का केन्द्र के कर्मचारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्भव न हो सके।
6. पैथोलॉजी केन्द्र की गैलरी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जायें कि पैथोलॉजी, सी0टी0स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड तथा एक्स–रे आदि के लिये आने व्यक्ति अलग–अलग ही रहें। केन्द्र प्रभारी द्वारा जॉच हेतु आने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या पर अनवरत नियत्रण सुनिश्चित किया जाये तथा केन्द्र में किसी भी दशा में भीड़ एकत्र न होने दी जाये।
7. केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही आने वाले प्रत्येक व्यक्ति यथा रोगी तथा उनके सहयोगी सहित अन्य व्यक्तियों आदि की सम्पूर्ण स्क्रीनिग की जाये। जिसके अर्न्तगत उनके नाम, पते, मोबाइल नं0 आदि का पूर्ण विवरण एक

पंजिका में अवश्य अंकित कर लिया जाये इस हेतु केन्द्र अपने स्तर से एक प्रारूप मुद्रित करवा ले जिसमें इन तथ्यों का समावेश अवश्य हो :–

क केन्द्र पर आने वाला व्यक्ति/रोगी तथा उनके सहयोगी कोविड–19 सकमित परिवार के है अथवा नही?

ख केन्द्र पर आने वाला व्यक्ति/रोगी तथा उनके सहयोगी पूर्व में किसी कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया है अथवा नही?

ग केन्द्र पर आने वाले व्यक्ति/रोगी तथा उनके सहयोगी की पूर्व का यात्रा विवरण जिसमें तिथि समय स्थान व सम्पर्क में आये लोगों के नामादि अवश्य अंकित हो।

घ इस प्रारूप में इस आशय की विशेष प्रविष्टि अवश्य सुनिश्चित की जाये कि केन्द्र पर आने वाले समस्त व्यक्ति/रोगी तथा उनके सहयोगी किसी कोविड–19 हॉट स्पॉट घोषित क्षेत्र अथवा उसके 1 किलोमीटर की परिधि के अन्दर आने वाले क्षेत्र के निवासी है अथवा नही?

8. निजी क्षेत्र में संचालित समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव, जॉच तथा उपचार के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/नियामक प्राधिकरणों/उच्चाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत हो चुके व भविष्य में निर्गत होने वाले निर्देशों एंव इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. समस्त निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालय/नर्सिगहोम अपनी इकाई पर एक ऐसा इमरजेन्सी आइसोलेशन वार्ड बना लें जिसमें वे अपनी इकाई में आपात चिकित्सा हेतु आने वाले समस्त रोगियों को यह मानते हुये एडमिट किया जाये कि वे कोविड–19 से संक्रमित है। इस वार्ड में सभी स्टाफ पी0पी0ई0 से रक्षित रहते हुये तथा इन्फेक्श प्रिवेन्शन प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुये रोंगियों का उपचार किया जाये। आपात स्थिति में ऐसे रोगियों के आपरेशन हेतु 01 ओ0टी0 इस प्रकार से तैयार की जाये कि उसमें सभी स्टाफ पी0पी0ई0 से रक्षित रहते हुये तथा इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुये रोंगियों की शल्य क्रिया सम्पन्न हो सके। यदि किसी रोगी की शल्य क्रिया 24 घण्टे तक विलम्बित की जा सकती है तो संबंधित रोगी के लक्षणों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुये आवश्यक होने पर उनकी कोविड–19 की जॉच कराने के उपरान्त ही शल्य क्रिया सम्पन्न करायें।

उक्त के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इकाई के विरूद्व विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित इकाई पर ही होगा।

संलग्नक– यथोक्त।

4/5/2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

संख्या– चिकि0व्य0पंजी0/कोविड–19/2020/ 4849–6 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. जिला अधिकारी लखनऊ।
4. पुलिस आयुक्त (महानगरीय क्षेत्र) लखनऊ/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) लखनऊ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5. सम्बन्धित समस्त अधिकारीगण/पटल सहायक कार्यालय अधोहस्ताक्षरी एवं परिधिगत कार्यालय लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

FOR EMERGENCY

All Hospital

1. Should do training of all doctors ,paramedical and other staffs for
   - Respiratory hygiene
   - Hand Hygiene
   - Sanitization
   - Disinfection
   - Use of PPE and Masks
2. Should have
   - Screening facility
   - Holding area facility (not required for clinic)
   - Isolation facility (not required for clinic)

   (size of these areas depends on requirement of the hospital)
3. Should have enough
   - PPE / mask
   - Sanitizers
   - Disinfectants
   - Equipments
4. Should have

- CCTV
- Signages
- Infrared thermal scanning
- Compulsory supply of triple layer mask to patients and attendants
- Security
- Separate toilets for staff and patients
- Regular cleaning, mopping, sanitisation
- Biomedical waste management

A . Screening Area

- Screening of all subjects must be done under strict precautions
- Social distancing should be followed
- Protection of medical and paramedical staff with triple layer mask and PPE with proper distancing of 1-2 meters.
- Proper hand sanitation, disinfection and environmental hygiene.
- Screening personnel preferably should sit in a cabin or a room or with a desk at entry
- Screening cabin / desk should be placed at entry, and preferably in open area or the screening room should be such that one window opens outside or the room is located close to the entrance.
- Should be manned by one staff with PPE
- Thermal scanning
- Covid-19 screening form
- List of hotspot areas
- Proper security
- Proper signage
- CCTV

B. Holding Area :

- Should preferably have separate room/chambers with toilet facility
- (number depends on requirement of hospital)
- If no separate rooms available them make a ward with bed distance of 1.5 to 2 meters .
- Dedicated staff who should not go to any other area of hospital
- Dedicated equipments like stethoscope/ BP /Infrared thermometer
- Strict protocols for safety of medical and paramedical staff for sanitization and disinfection
- Strict protocol for safety, sanitization and disinfection for entire area
- Separate laundry and food arrangements

C. Isolation Area/Room :

- Should preferably a room/chambers with toilet facility
- Dedicated staff who should not go to any other area of hospital
- Dedicated equipments like stethoscope/ BP /Infrared thermometer
- Strict protocols for safety of medical and paramedical staff for sanitization and disinfection
- Strict protocol for safety, sanitization and disinfection for entire area

Scanned with CamScanner

EMERGENCY MANAGEMENT

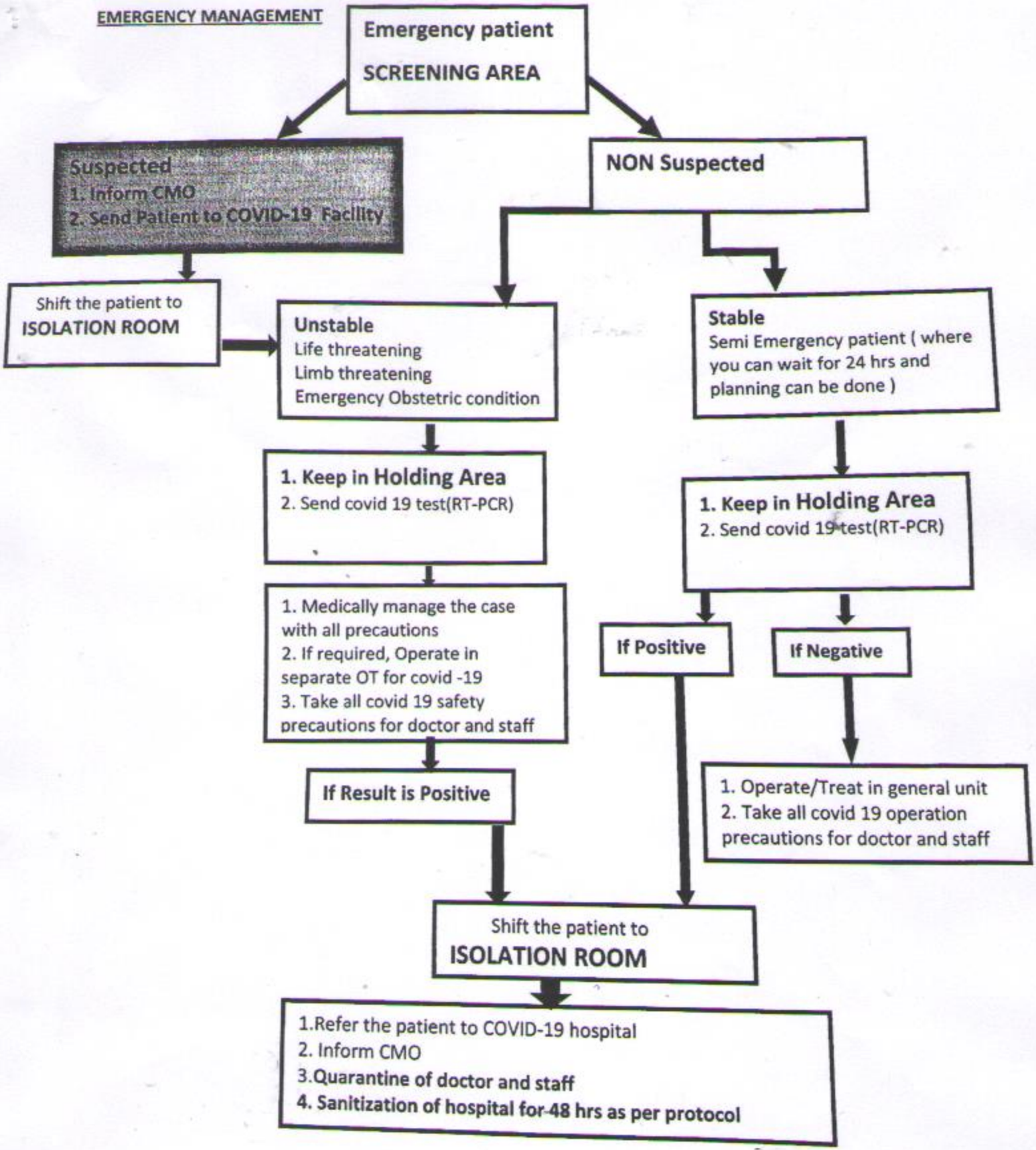

ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर, लखनऊ में दिनांक– 25.04.2020 को कोविड–19 के संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 25 अप्रैल 2020 को अपरान्ह 3:00 बजे डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम कलेक्ट्रट सभागार, में कोविड–19 के प्रति निरोधात्मक, निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाही की रणनीति सुनिश्चित करने हेतु जनपद के श्री मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी, डा0 नरेन्द्र अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतिनिधि आई0एम0ए0, डा0 जे0 भामरी प्रतिनिधि लखनऊ नर्सिग होम एसोसियेशन तथा समस्त निजी चिकित्सालय/नर्सिगहोम्स/पैथालॉजी के संचालकों/प्रबन्धकों की बैठक श्री अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में डा0 सुनील पाण्डेय, जनपदीय नोडल अधिकारी (कोविड–19), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लखनऊ तथा डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ भी उपस्थित रहे।

बैठक का प्रारम्भ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 नरेन्द्र अग्रवाल के सम्बोधन से हुआ। अपने सम्बोधन में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आभार ज्ञापित किया तथा कोविड–19 के संक्रमण पर रोकथाम करने पर चर्चा की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ने समस्त उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया कि किसी भी हास्पिटल में भर्ती होने वाले रोगी की कोविड–19 की जॉच किया जाना आवश्यक नहीं है। उन्होनें चिकित्सालय आने वाले सभी रोगियों को कोरोना संभावित रोगी मानते हुये इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये पी0पी0ई0 किट से रक्षित चिकित्सक एवं स्टाफ द्वारा उपचार प्रदान किये जाने पर बल दिया। उन्होनें कहा कि इस प्रकार से चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ स्वयं कोविड–19 से संक्रमित होने से बचे रहेंगें।

उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा चिकित्सालय आने–जाने वाले चिकित्सकों एवं स्टॉफ के आवागमन में विभिन्न कठिनाईयों से अवगत कराया गया, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष बंसल ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया कि सभी चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी/पैरामेडिकल स्टाफ आदि अपने संस्थान/चिकित्सालय के फोटोयुक्त पहचान पत्र पर सुगमता से आवागमन कर सकते हैं। इनके आवागमन पर कोई रोक नहीं है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यातायात हेतु सभी संस्थान/चिकित्सालय अपने लिये कार पूलिंग की व्यवस्था कर लें जिससे सड़कों पर आवागमन न्यूनतम किया जा सके।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा बैठक के एजेण्डे के अनुरूप प्रतिभागियों से बिन्दुवार विमर्श किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. चिकित्सालय में कोविड–19 (कोरोना वायरस) सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल पर ही चिकित्सालय का संचालन करेंगे। चिकित्सालय में 24x7 आकस्मिक सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. चिकित्सालय परिसर में आने व रहने वाले सभी आगन्तुक 03 लेयर मास्क अवश्य पहनें यथा सम्भव उन्हें समय–समय पर सैनिटाइज़र के माध्यम से सैनेटाईज भी किया जाये।
3. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सालय परिसर में आने वाले सभी मरीजों को कोरोना कैरियर मानकर उनका इलाज पूरी सावधानी एवं उचित दूरी बनाकर किया जाये यथासम्भव रोगियों को टैलीफोनिकली परामर्श दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी चिकित्सालय अपने रोगियों हेतु एक सम्भावित कोरोना रोगी वार्ड बना लें तथा रोगी की कोविड–19 की जॉच का परिणाम आने तक उन्हें उसी वार्ड में भर्ती कर उपचार प्रदान करें। उपचार प्रदान करते समय समस्त चिकित्सक व स्टाफ पी0पी0ई0 किट के माध्यम से स्वयं को रक्षित करें। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय अपने परिसर में एक ऐसे कक्ष का चयन कर लें जो ग्लॉस शील्ड अथवा अन्य किसी प्रकार से रक्षित हो, तथा चिकित्सालय के कर्मी उसमें बैठ कर आने वाले रोगियों से उनकी बीमारियों के संबंध में जानकारी करते हुये आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर सके तदोपरान्त अपने कक्ष में उपस्थित चिकित्सक से वार्ता करके उन्हें परामर्श प्रदान किया जा सके अथवा भर्ती किया जा सके।

4. निजी चिकित्सालयों में होने वाले इलेक्टिव सर्जरीज़ को किसी भी दशा में न किया जाये। मात्र गंभीर रोगियों की ही सर्जरी की जाये। ऐसे सभी मरीजों को सर्जरी से पहले संभावित कोरोना रोगियों हेतु बनाये गये वार्ड में भर्ती कर उनकी समस्त जॉच आदि आपरेशन से पूर्व पूर्ण करा ली जायें।

5. नगर आयुक्त डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अवगत कराया कि नगर निगम द्वारा हैलो डाक्टर की व्यवस्था स्मार्ट सिटी कार्यालय में की गई है। उन्होने अवगत कराया कि स्मार्ट सिटी परियोजना जिसमें लगभग 142 चिकित्सकों द्वारा स्वयं को पंजीकृत किया गया है। उन्होने सभी चिकित्सकों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से जन सेवा करने का अनुरोध करते हुये सभी चिकित्सकों का आवाहन किया कि इच्छुक चिकित्सक अपना पंजीकरण हैलो डाक्टर की व्यवस्था पर अवश्य करा लें। पंजीकरण कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर श्री अनुज अवस्थी, कार्य प्रभारी जिनका मो0नं0 9452255533 है, से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 में आने वाले रोगियों की संख्या को न्यूनतम करने के दृष्टि से यह अत्यन्त उपयोगी सिद्व होगा कि सभी निजी चिकित्सक जनहित में उक्त व्यवस्था के अनुसार स्वयं को पंजीकृत कर रोगियों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से परामर्श प्रदान करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी उपस्थित चिकित्सकों से आग्रह किया गया कि वे इस हेतु अपना नाम, विशेष योग्यता व मोबाइल नं0 हैलो डाक्टर पर पंजीकृत करायें तथा प्रतिदिन अलग–अलग क्षेत्र के 05–06 चिकित्सक टेलीमेडिसीन के माध्मय से आम जन मानस को परामर्श दें।

6.. डा0 सुनील पाण्डेय, राज्य स्तर से नामित प्रभारी अधिकारी (कोविड–19) द्वारा प्रस्तुत परामर्श के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चिकित्सालय अपने परिसर की दिन में न्यूनतम 03 बार सोडियम हाइपोक्लोराइट/ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से साफ–सफाई अवश्य सुनिश्चित करायें। विशेष कर उन स्थानों को बार–बार विसंक्रमित किया जाये जो प्रायः रोगी, उनके परिजनों, स्टाफ आदि के प्रयोग में आते हैं।

7 मुख्य विकास अधिकारी, श्री मनीष बंसल ने सभी चिकित्सलयों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि निजी चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में जीवनरक्षक औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। उन्होनें सभी को निर्देशित किया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की आपूर्ति रोके जाने पर संबंधित व्यक्ति स्वयॅ मुख्य विकास अधिकारी को व्हाट्सएप नं0 5454465461 के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। उन्होनें यह भी कहा कि इस प्रकार की आपूर्ति लाने वाले व्यक्ति के पास उसका व्यक्तिगत आई0डी0 कार्ड अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आपूर्ति प्राप्त करने के संबंध में अन्य किसी भी प्रकार की समस्या पर औषधि निरीक्षक के दूरभाष संख्या – 9454468761 से सम्पर्क किया जा सकता है। ताकि तत्काल समस्या का निराकरण हो सके।

8. निजी चिकित्सालयों/पैथालॉजी/नर्सिगहोम के प्रतिनिधियों को विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक डेडीकेटेड केन्द्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्थापित कर उसका नम्बर सार्वजनिक कर दिया जायेगा जिस पर सभी निजी चिकित्सालय/नर्सिगहोम/चिकित्सक कोविड–19 के संबंध में अपनी किसी भी परेशानी के संबंध में तुरन्त सहायता व निर्देश प्राप्त कर सकेगें।

9. सभी बड़े निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया कि वे अपने चिकित्सालय परिसर में चिकित्सकों/स्टाफ को क्वारेन्टाईन करने हेतु व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित कर लें। ऐसी व्यवस्था न होने की स्थिति में संबंधित चिकित्सालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अपने चिकित्सालय के निकट के स्थान/लॉज/होटेल आदि का नाम प्रस्तावित करें जिसे उनके चिकित्सालय के चिकित्सकों/स्टाफ को पैसिव क्वारेन्टाईन कराये ज़ाने हेतु अधिग्रहित किया जा सके।

10. जैव अपशिष्ट पदार्थो यथा पी0पी0ई0किट, ग्लव्स, मास्क आदि सहित अन्य सामग्रियों का प्रोटोकॉल के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इन अपशिष्ट से किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलने पर संबंधित चिकित्सालय व एजेन्सी दोषी माने जायेगें।

11. जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता कम है इसे बढ़ाने के उपाय करने पर भी जिलाधिकारी द्वारा जोर दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि रक्तदाताओं की संख्या बढ़ाई जाये।

12. कोविड–19 की निदानात्मक आख्या प्रस्तुत करने वाले जनपद लखनऊ की निजी क्षेत्र में क्रियाशील एक मात्र लैब मे0 आर0एम0एल0मेहरोत्रा पैथॉलोजी से जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गई कि उनके द्वारा कोविड–19 की जॉच की जा रही है अथवा नहीं ? संबंधित लैब के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि आई0सी0एम0आर0 द्वारा कोविड–19 की जॉच हेतु रू0 4500/– मात्र निर्धारित किया गया था किन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त जॉच मात्र रू0 2500/– मात्र में कराने के निर्देश निर्गत किये गये

है। जॉचादि ने आने वाला व्यय रू0 2500/– से काफी अधिक होने के कारण उनकी लैब ने कोविड–19 की जॉच स्थगित कर रखी है। जिलाधिकारी द्वारा इस बिन्दु को संवेदनशीलता से ग्रहण करते हुये लैब संचालकों को निर्देशित किया कि वे किसी भी दशा में लैब में कोविड–19 की जॉच न रोकें। उन्होने इस कठिनाई का निराकरण करने की चर्चा उच्च स्तर से किये जाने के संबंध में सभी को अवगत कराया।

13. जिलाधिकारी महोदय ने रोगियों की रोगवार लिंक हास्पिटल बनाने का भी प्रस्ताव रखा। इस पर विस्तृत विचार–विमर्श कर रूप रेखा तैयार करने हेतु निम्न चिकित्सकों को नामित किया गया :–

1. डा0 रमा श्रीवास्तव (अध्यक्ष, आई0एम0ए0, लखनऊ)
2. डा0 शिव कुमार (शल्य चिकित्सक)
3. डा0 संदीप कपूर (लखनऊ हेल्थसिटी, हास्पिटल, लखनऊ)
4. डा0 ज्योर्तिमय भाम्बर (सेक्रेटरी,एल0एन0एच0ए0, लखनऊ)
5. डा0 रणधीर पुरी (सहारा, हास्पिटल, लखनऊ)
6. डा0 अनिल खन्ना (अजन्ता हास्पिटल, लखनऊ)
7. डा0 प्रीति कुमार (स्त्री रोग विशेषज्ञ)

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त समिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ के संयोजकत्व में दो दिवसों में उपरोक्त विषय पर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करें।

14. अंत में जिला अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित समस्त चिकित्सकों से अपेक्षा की गयी कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्गत निर्देशों का अवश्य अनुपालन करें। तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को Infection Prevention Control से अवगत करायें।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ

संख्या– सीएमओ/चिकि0व्य0पंजी0/कोविड–19/2020/4685-32 दिनांक– 25 अप्रैल 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल लखनऊ।
6. पुलिस आयुक्त (महानगरीय क्षेत्र) लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
9. नगर आयुक्त, लखनऊ।
10. समस्त अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
11. समस्त अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
12. अध्यक्ष/सचिव, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन लखनऊ शाखा लखनऊ।
13. अध्यक्ष/सचिव, लखनऊ नर्सिंग होम एसोसियेशन लखनऊ शाखा लखनऊ।
14. उपस्थित समस्त प्रतिभागी।
15. स्वामी/संचालक/प्रबन्धक, समस्त निजी चिकितसालय/नर्सिंगहोम/क्लीनिक/पैथोलोजी/क्लीनिक लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
16. समस्त राजकीय एवं निजी मेडिकल कालेज/आयुर्विज्ञान संस्थान/चिकित्सा विज्ञान विद्यालय, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ